

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/एसीपी/जोन-अजमेर/x-02-00701/2023/527

दिनांक:-01-09-2023

--:आदेश:-

राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 एवं आदेश क्रमांक एफ.15(88) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्सिंग कर्मियों जिन्होंने 09, 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिका का नाम (सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	एसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	वर्तमान में प्राप्त पे बन्ड/वेतन श्रृंखला/लेवल	देय पे ग्रेड/ देय वेतन श्रृंखला/ लेवल
1	गीता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	नागौर	28-02-2005	28-02-2023 18 year	L-10	L-11
2	हेमलता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	अजमेर	23-02-2005	23-02-2023 18 year	L-10	L-11
3	दुर्गेश कुमार चतुर्वेदी, नर्सिंग ऑफिसर	भीलवाडा	17-06-1996	17-06-2023 27 year	L-13	L-15
4	सरोज बैरवा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	टोंक	13-02-2008	15-04-2018 09 year	L-08	L-10

नोट:-1. क.सं. 4 पर अंकित कार्मिका के निदेशालय के आदेश क्रमांक 2915 दिनांक 11.12.2019 के द्वारा दिनांक 01.09.2011 से 30.10.2012 तक की अनुपस्थिति अवधि को राजस्थान सेवा नियम 54 (5) के अन्तर्गत शून्यकाल(डाईजऑन) किया जाने के फलस्वरूप 15.04.2018 को प्रथम एसीपी स्वीकृत की जा रही है।

2. उक्त कार्मिका के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान हुई है, तो नियमानुसार यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-20 / नर्सिंग / एसीपी / जोन-अजमेर / x-02-00701 / 2023 / 527

दिनांक:- 01-09-2023

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें ईएसआई योजना, जयपुर ।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-अजमेर ।
3. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर / भीलवाडा / अजमेर / टोंक ।
4. सम्बन्धित जिला प्रजन्न एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान ।
5. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान ।
6. सम्बन्धित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय, उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
8. आदेश / निजी पत्रावली ।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर